कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री दीपक सिंह यादव, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, रोड़ा–नोखा, बीकानेर का स्थानान्तरण राउमावि, कोटड़ी, जैसलमेर किया गया। श्री दीपक सिंह यादव ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या–15131/2019 श्री दीपक सिंह यादव बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–15131/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–04.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्री दीपक सिंह यादव को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री दीपक सिंह यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पत्नी नोखा ब्लॉक बीकानेर में कार्यरत होने एवं माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अपना पदस्थापन 1–नोखा, पांचू ब्लॉक जिला बीकानेर, 2–राउमावि, श्रीबालाजी, नागौर, 3–राउमावि, गोगलाव, नागौर, 4–राउमावि, डूडवालों की ढाणी, नागौर में करने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए इनका पदस्थापन/समायोजन एच.बी.जी. राबाउमावि, नोखा, बीकानेर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./दीपकसिंह यादव/15131/2019 दिनांक–20/01/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बीकानेर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर